S.T.- 64/01

10.3.26 पत्रावली पेश। अभि०- की हाजरी है। साक्षी अनुपस्थित। विरुद्ध निर्गत सम्मन/- अधिवक्ता का मामला अभाव अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने हेतु अंतिम मौका दिया जाता है बाद दिनांक 13.3.26 वास्ते साक्ष्य हेतु।

लंबित
ASJ

13.3.26 (लगातार)

13.3.26 पत्रावली पेश। अभि०- रमेश यादव की हाजरी है। वाद पुकार पर अभि० अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस केस की प्राथमिकी धारा- 307 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत दर्ज किया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध आरोप का गठन दिनांक 17.3.21 को भा०द०वि० की धारा- 307 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत किया गया। तब से यह अभिलेख साक्ष्य हेतु लंबित चला आ रहा है। इस केस में साक्षियों की उपस्थिति हेतु दिनांक 23.3.21 को सम्मन निर्गत किया गया। अभियोजन द्वारा साक्षियों को प्रस्तुत नहीं किया गया। पुनः साक्षियों

(लगातार)

S.T. 646/19

13.3.26 (लगातार)

की उपस्थिति हेतु जमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया तथा दिनांक 10.3.26 तक अभियोजन द्वारा गवाहों को बिठे जाने के पश्चात भी साक्षियों को प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अभियोजन को अंतिम अवसर भी दिया जाने के बावजूद अभियोजन द्वारा साक्षियों को प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 17.3.21 को आरोप का गठन किया गया तथा काफी समय दिये जाने के बावजूद अभियोजन पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे। ऐसी स्थिति में साक्षियों की उपस्थिति हेतु और समय दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इस आलोक में अभियोजन साक्ष्य बंद करते हुए अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों से द०प्र०सं० की धारा 232 के अन्तर्गत साक्ष्य के अभाव में आरोपों से मुक्त होने के अधिकारी है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में अभियुक्त को द०प्र०सं० की धारा 232 के अन्तर्गत उन पर लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभि० एवं उनके प्रतिभुओं को बंधपत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। कार्यालय नियमानुसार अभिलेख, अभिलेखागार में जमा करें।

लो०उद्०
Deepak Kr. Yadav
A.S.J.-III